न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–16/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कलावती स्त्री बिहारीलाल जाति गूजर निवासी थानागाजी, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. हरसहाय पुत्र पांचूराम जाति गूजर निवासी दुहार माला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।
2. सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री डी.पी.दीक्षित, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 सं0 1 ने तहत न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 426 जिसका तितम्बा नम्बर 426/6 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा था जिसके हाल ख0 नं0 521 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम दुहार माला कायम हुआ है जो आराजी विवादित है । साबिक ख0 नं0 426 का काफी बड़ा रकबा सिवायचक आराजी थी जिसमें से 13 बीघा 10

बिस्वा आराजी सन् 1989 में विभिन्न काश्तकारों को आवंटित हो गई और आवंटन के बाद मौके पर जिस जगह आवंटियों को दखल दिया गया उसी के अनुसार नक्शा में तितम्बा नम्बर काटकर अंकित कर दिये जो उक्त ख0 नं0 426 के तरफ दक्षिण में मध्य से तरफ दक्षिण की ओर क्रमशः 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 426/9, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13 व 426/14 बना दिये गये जिनमे से केवल एक तितम्बा ख0 नं0 426/6 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक रह गया शेष तितम्बा वाले खसरा नम्बर आवंटियों के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में अंकित हो गये जिनमें से 426/5 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वादी को दिनांक 31.05.1989 को आवंटित की गई जिस पर वादी को आवंटन के समय जहां दखल दिया गया था वहां पर ही नक्शा में तितम्बा काटा गया है यानि 426/5 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा काटा गया है जिस पर वक्त आवंटन से ही वादी काश्त करता चला आ रहा है और 426/5 का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी वगैरा में वादी के नाम की खातेदारी का अंकन चला आ रहा है और ख0 नं0 426/6 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक का इन्द्राज चला आ रहा था । हाल बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है जो हाल तक की जमबन्दी व नक्शा में चला आ रहा है तथा वह इन्द्राज कतई गलत खिलाफ साबिक नक्शा व राजस्व रेकार्ड के खिलाफ बातिल व बेसर व नाकाबिल पाबन्दी है जिसें वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 16.01.2017 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय दि0 16.01.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी कलावती ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें रेस्पो0/अप्रार्थी हरसहाय भी उपस्थित है जिनके हस्ताक्षर उनके अभिभाषक ने किये है, उपस्थित होकर कहा कि विवादित आराजी बाबत उभयपक्षों में मौके के अनुसार नक्शा व रेकार्ड में संशोधन चाहते हैं तथा उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश करना चाहते हैं ।

अतः प्रकरण को उभयपक्ष तहत न्यायालय में प्रतिप्रेषित करवाना चाहते हैं ।

उभयपक्षों को सुना गया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण प्रकरण को तहत न्यायालय में प्रतिप्रेषित किये जाने पर सहमत है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दि0 16.01.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर, मौका व रेकार्ड की जांच करके तथा उभयपक्ष यदि नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही अदालत से सहमत हैं तो तद्नुसार रेकार्ड व नियमों के परिप्रेक्ष्य में कानूनी सहमति प्राप्त करके नियमनुसार गुणावगुण पर पुनः उचित निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर